पत्रांकः– 04/NULM- 09/16/......2498....../न0वि0एवंआ0वि0

33

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषकः–

चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम ।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद/नगर पंचायत।

पटना, दिनांकः 08/11/16

विषयः– **सबके लिए आवास के तहत केडिट लिंक्ड सब्सिडी स्किम (CLSS) एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना–शहरी आजीविकि मिशन (DAY-NULM) योजना के SM&ID, SEP एवं EST&P घटकों की प्रगति हेतु नगर निकाय स्तर पर शिविर के आयोजन के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक– 384 दिनांक– 26.08.2016।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि, **सबके लिए आवास (HFA)** के तहत **केडिट लिंक्ड सब्सिडी स्किम (CLSS)** एवं **दीनदयाल अंत्योदय योजना–शहरी आजीविकि मिशन (DAY-NULM)** योजना के घटक SM&ID, SEP एवं EST&P के प्रचार–प्रसार हेतु प्रत्येक माह के दूसरे एवं चौथे शनिवार को शिविर आयोजन निर्धारित है। शिविर के सफल संचालन हेतु नगर निकाय स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई किया जाना हैः–

1. **सबके लिए आवास** (HFA) योजना के महत्वपूर्ण घटक **केडिट लिंक्ड सब्सिडी स्किम (CLSS)** एवं **दीनदयाल अंत्योदय योजना–शहरी आजीविकि मिशन** DAY-NULM योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु नगर निकाय स्तर पर शिविर का आयोजन दूसरे एवं चौथे शनिवार की जगह प्रत्येक माह के **प्रथम एवं तृतीय शनिवार** को आवश्यक रूप से किया जाय ताकि बैंक के प्रतिनिधि शिविर में भाग ले सकें।
2. शिविर आयोजन के पूर्व HFA एवं DAY-NULM योजना के लाभार्थियों के आवेदनों को टास्क फोर्स के माध्यम से बैंकों को अग्रसारित किया जाय। बैंकों के द्वारा इन आवेदनों की स्वीकृति उपरान्त लाभार्थियों को चेक वितरण का कार्य शिविर के माध्यम से ही किया जाय।
3. शिविर में जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि, एल.डी.एम. एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों को भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाय।
4. शिविर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाय एवं उनके माध्यम से भी लाभार्थियों के बीच राशि वितरण कराया जाय।
5. शिविर में नगर निकाय द्वारा HFA एवं DAY-NULM योजना का घटकवार अलग–अलग स्टॉल लगाकर योजना का प्रचार–प्रसार एवं लाभुकों का पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाय। इस कार्य हेतु सम्बन्धित हितग्राही (Statkeholders) संस्थाएं एवं कार्यान्वयन एजेन्सियों (SPUR/ APMAS/ NASVI/ STPs) के प्रतिनिधि भी शिविर में आवश्यक रूप से उपस्थिति रहें ताकि सम्बन्धित मामलों का त्वरित निष्पादन शिविरों में किया जा सके।
6. लाभार्थियों के आवेदनों की स्वीकृति प्रदान करने एवं उनके बीच राशि वितरण जैसे कार्य शिविरों के माध्यम से ही कराये जाएं।

(32)

7. शिविर आयोजन के पूर्व इसका प्रचार–प्रसार किया जाय ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों की सहभागिता शिविर में सुनिश्चित हो सके।
8. यह सुनिश्चित किया जाय की शिविरों में योजना से सम्बन्धित जानकारी, प्रचार–प्रसार सामग्री एवं ऋण आवेदन प्रपत्र पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों।
9. शिविर में शिकायत एवं दावे–आपत्ति हेतु अलग स्टॉल लगाकर आवेदकों/लाभार्थियों द्वारा दर्ज शिकायती आवेदन प्राप्त किया जाय।
10. शिविर के सफल आयोजन की पूर्ण जिम्मेदारी नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी की होगी। शिविर के आयोजन एवं सफल संचालन हेतु CMMU एवं योजना के सम्बन्धित कर्मी के बीच कार्य बटवारा किया जाय तथा उनके कार्यों की समीक्षा की जाय।
11. HFA एवं DAY-NULM के सभी घटकों के प्रगति की समीक्षा CMMU एवं HFA के संबंधित कर्मियों के साथ प्रत्येक सप्ताह बुधवार को किया जाय। माह के द्वितीय एवं चतुर्थ बैठक में योजना से सम्बन्धित सभी Stakeholders को बुलाया जाय। सभी बैठक की कार्यवाही अगले दिन PMC-NULM एवं विभाग को भेजा जाय।
12. शिविर के आयोजन एवं प्रचार–प्रसार सामग्री पर अधिकतम रू. **5000/– (रूपये पॉच हजार मात्र)** प्रति शिविर खर्च का वहन DAY-NULM योजना की IEC मद से किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि, नगर निकाय स्तर पर प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को HFA की अधीन CLSS तथा DAY-NULM योजना शिविरों का आयोजन किया जाय तथा शिविर का प्रतिवेदन उसी दिन विभाग को भेजा जाय।

विश्वासभाजन,

4/11/2016

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांकः 2498 **दिनांकः** 08/11/16

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से इसकी समीक्षा की जाय एवं शिविर में जिलास्तर के पदाधिकारी को भाग लेने का निर्देश दिया जाय।

4/11/2016

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांकः 2498 **दिनांकः** 08/11/16

प्रतिलिपिः– टीम लीडर, **SPUR, APMAS, NASVI** एवं संबंधित सभी **STPs** को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित है कि नगर निकाय स्तर पर आयोजित की जाने वाले उपरोक्त शिविर में सहभागिता सुनिश्चित किया जाय।

4/11/2016

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।